P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 Vol-I* Issue- VII* October - 2016
E: ISSN NO.: 2455-0817 **Remarking An Analisation**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का महत्व, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन

मयंक मोहन
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
एम0 एम0 कॉलेज,
मोदी नगर, उत्तर प्रदेश

सारांश

वर्तमान समय में यदि समाज में अपने आस–पास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो पता चलता है कि जैसे–जैसे उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है, वैसे–वैसे ही उत्पादक वर्ग द्वारा उसका विभिन्न प्रकार से शोषण भी किया जा रहा है। यदि किसी उपभोक्ता को उत्पादक अथवा सेवा से प्राप्त सन्तुष्टि उसके द्वारा किये धन के व्यय से उत्पन्न हुयी असन्तुष्टि से कम है तो यह बात उपभोक्ता के शोषण की श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

एक ओर तो यह कहा जाता है कि पूंजीवाद में उपभोक्ता सम्राट होता है किन्तु दूसरी ओर वर्तमान समय में उपभोक्ता उत्पादक के हाथों की कठपुतली बन कर रह गया है। उदाहरण के लिये आज के समय में मोबाईल क्रान्ति का वर्चस्व चहुँ ओर फैला हुआ है। कम्पनियाँ तरह–तरह के विज्ञापन, स्कीम तथा प्रलोभन देकर उपभोक्ता वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रही हैं तथा अपने प्रयासों में इस सीमा तक सफल हो गयी है कि उपभोक्ता की अपनी विवेक शक्ति भी इनके सामने क्षीण पड़ती जा रही है। यह तो एक उदाहरण मात्र है। वर्तमान समय में तो उत्पादक अपना उत्पाद पहले तैयार करते हैं तत्पश्चात् आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा अपने उत्पाद अथवा सेवा को उपभोक्ता की आवश्यक आवश्यकता के रूप में प्रचारित करते हैं तथा इस प्रकार की वस्तु अथवा सेवा क्रय करने के कुछ समय पश्चात् उपभोक्ता अपने को असहाय एवं ठगा महसूस करता है।

ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का पक्ष अत्यन्त निर्बल होता है क्योंकि वे संगठित नहीं होते तथा उनके पक्ष को कोई गम्भीरतापूर्वक सुनने को भी तैयार नहीं होता है। ऐसी दशा में उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की तरह दबकर रह जाती है।

भारत ग्राम प्रधान देश है यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। यदि ग्रामीण समाज को शिक्षित कर उन्हें अनेक उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाये तथा समाज का प्रत्येक वर्ग अपने स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिये सतत् एवं सक्रिय प्रयास करे तो कोई कारण नहीं बनता कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा न हो सके। बस आवश्यकता है तो इस बात की है कि उत्पादक–वर्ग व्यावसायिक जगत के स्वस्थ्य एवं पारम्परिक नियमों का पालन कर उपभोक्ता वर्ग का शोषण न करे तथा उपभोक्ता–वर्ग भी उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा के अन्तर्गत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने हितों के प्रति सचेत रहे।

मुख्य शब्द : उपभोक्ता संरक्षण।

प्रस्तावना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का महत्व

किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मनुष्य की उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर होती है। जब भी कभी किसी राष्ट्र ने उपभोक्ता वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति का सही आकलन करके उस दिशा की ओर सशक्त कदम उठाये हैं, वह आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो गया है। इस बात की पुष्टि के लिये चीन जैसे विकसित देश का उदाहरण लिया जा सकता है जहाँ किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा अतिरेक जनसंख्या को भी आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम बना लिया गया है। चीन की सरकार एवं उत्पादक वर्ग के मिले–जुले प्रयासों से न केवल चीन में बेरोजगारी की समस्या कम हुई है अपितु वहाँ की उपभोग प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला है। इसी कारण वर्तमान में विश्व बाजार में चीन की उपस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब यह बात सर्वविदित है कि उपभोक्ता वर्ग किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के चक्र की धुरी होता है तो वहाँ उपभोक्ता संगठन अधिनियम का क्या महत्व रह जाता है ?

यदि आंकड़ों और तथ्यों पर विश्वास किया जाये तो उपभोक्ता को एक ऐसे बेताज बादशाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि स्वयं अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपये उपभोक्ता संरक्षण प्राप्त न होने की स्थिति में खोने पड़ रहे हैं।

उपभोक्ता के शोषण के विषय में जो कुछ ऊपर लिखा गया है ऐसा नहीं है कि वह पहले कभी न कहा गया हो तथा सरकार ने इसके लिए कोई कदम न उठाया हो। उपभोक्ता के शोषण की समस्या एक विश्वव्यापी समस्या है इसीलिए प्रत्येक वर्ष में 15 मार्च को 'विश्व उपभोक्ता दिवस' के रूप में बनाया जाता है।

भारत में भी उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित किया गया जिसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य निर्माताओं, मध्यस्थों, व्यापारियों एवं सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों के शोषण से उपभोक्ता को बचाना है तथा उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना है। व्यापक अर्थ में देखा जाये तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों के संरक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा होती है और शोषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जाता है। इसके अन्तर्गत सरकारी एवं गैर–सरकारी वे समस्त उपाय सम्मिलित हैं जो कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता हित संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियम, सरकारी संस्थायें एवं स्वैच्छिक संस्थायें संरक्षणकारी यंत्र हैं।

स्वतंत्रता से पूर्व सरकार द्वारा उपभोक्ता को गुणवत्तायुक्त एवं सही माप तौल की वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु अनेक कानून बनाये गये हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् समयानुसार इनमें परिवर्तन होते रहे हैं। इन अधिनियमों के अन्तर्गत वस्तुओं का मानकीकरण, मिलावट, निवारण, उचित माप हेतु निरीक्षण एवं नियंत्रण की व्यापक व्यवस्था की गयी है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का इसलिए भी महत्व है कि इससे उपभोक्ता बाजारी अर्थव्यवस्था में सीधे भागीदारी कर सकता है। इस कानून के कारण अब वह स्वयं को बेबस महसूस नहीं करेगा। समाज में व्यापारी वर्ग दूसरों को लूटने के लिए शक्तिशाली बन गए हैं और जहां तक सार्वजनिक निकाय महसूस करता है, यह बुराई इतनी घर कर गई है कि लोग उसका विरोध करने के स्थान पर उसे जीवन का हिस्सा मानने लग गए हैं। इन अविश्वसनीय किन्तु कटु परिस्थितियों में यह कानून एक आशा की किरण लेकर आया है जिसके कारण वस्तुतः स्थितियां सुधरेंगी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 वस्तुतः एक कल्याणकारी समाजोन्मुख कानून है और यदि इसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचता है तो इस कानून को बनाने का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि उपभोक्ताओं को इस कानून के उद्देश्य के बारे में शिक्षित नहीं किया जाएगा तो वह अनुचित व्यापारिक व्यवहारों जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध नहीं कर पाएंगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों और विनिर्माताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह वस्तुओं की गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा और मानकों का ध्यान रखेंगे और सेवा–प्रदाता उपभोक्ताओं को सही और अनुकूल सेवाएं प्रदान करेंगें। यदि किसी वस्तु में दोष अथवा सेवा में कमी पाए जाएगी तो उपभोक्ता न्याय के लिये उपभोक्ता अदालतों में जा सकेंगे। किन्तु यह तभी संभव हो सकेगा जबकि उपभोक्ताओं में उपभोक्ता हितों की शिक्षा का प्रसार किया जाएगा।

निष्कर्ष रूप में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के महत्व को इन्हीं शब्दों के साथ स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उसके हाथ में एक राजदण्ड की भाँति अधिकार है जिसका प्रयोग वह निरंकुश उत्पादक–वर्ग को दण्डित करने के लिये करता है।

उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन

उपभोक्ता के अधिकारों का विकास करने एवं उनके हितों को और अधिक संरक्षित करने के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् तथा प्रत्येक राज्य के स्तर पर एक–एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् तथा जनपद स्तर पर जिलाफोरम का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह अधिसूचना जारी करके एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (राष्ट्रीय परिषद्) की स्थापना करेगी। अपने इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया है। इस आशय की अधिसूचना 1 जून, 1987 के शासकीय राजपत्र भाग 2 में प्रकाशित की गयी है। उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 (2) के अन्तर्गत इसकी अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गयी तथा इसे 1 जून, 1987 से प्रभावशाली माना गया है। इसकी प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार है

कार्यालय

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन

केन्द्रीय उपभोक्ता परिषद् का गठन 1 जून, 1987 को किया गया जिसकी सूचना 01–06–1987 के शासकीय राजपत्र भाग 2 में प्रकाशित की गयी। परिषद् का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

विभाग के मंत्री को बनाया गया तथा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के अनुसार उसमें अन्य सदस्यों के नामों को उल्लेखित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 (1) के अनुसार केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में निम्नलिखित 150 सदस्य होते हैं

1. केन्द्रीय सरकार का नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रभारी मंत्री जो कि केन्द्रीय उपभोक्ता परिषद् का अध्यक्ष (चैयरमैन होगा)।
2. केन्द्रीय सरकार का नागरिक आपूर्ति विभाग का राज्य मंत्री (जहाँ पर स्वतंत्र प्रभार धारण नहीं करता हो) या उपमंत्री, जो कि केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का उपाध्यक्ष (उपचैयरमैन) होगा।
3. राज्य सरकारों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मन्त्रीगण या राज्यों के उपभोक्ता सम्बन्धी मामलों के प्रभारी मंत्री।
4. संसद के 8 सदस्य (5 लोकसेवा से, तथा 3 राज्य सभा से)
5. आयुक्त, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां।
6. उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधि (इनकी संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए)।
7. महिलाओं के प्रतिनिधि (10 से कम नहीं होने चाहिए)
8. किसानों, व्यापारियों एवं उद्योगों के प्रतिनिधि (25 से अधिक नहीं होने चाहिए)।
9. उपभोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे योग्य व्यक्ति जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया हो (15 से अधिक नहीं होने चाहिए)।
10. केन्द्रीय सरकार का नागरिक आपूर्ति विभाग का सचिव केन्द्रीय (राष्ट्रीय) उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का सचिव होगा।

कार्यकाल

उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। परिषद् का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। इस प्रकार अथवा अन्य किसी प्रकार से रिक्त हुयी रिक्तियों की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी वर्ग से की जायेगी और नवनियुक्त व्यक्ति केवल उसी समय तक के लिये पद पर रहेगा, जब तक कि वह व्यक्ति, जिसका स्थान रिक्त हुआ था, पद धारण करता।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन्

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण की कार्यप्रणाली के सुनिश्चित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास सुरक्षित है। केन्द्रीय सरकार नियमावली तैयार करके उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की कार्यप्रणाली के लिये नियम बना सकती है। केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया है

अधिवेशन

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के अधिवेशन जब कभी आवश्यक होगें, तभी होगें किन्तु प्रत्येक वर्ष में परिषद् का कम से कम एक अधिवेशन अवश्य किया जायेगा। इसके अन्तर्गत अधिवेशन करने का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा।

सभापतित्व

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के अधिवेशन का सभापतित्व अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह कार्य उपाध्यक्ष द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की अनुपस्थिति में केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गये सदस्य को यह कार्य सम्पन्न करना होगा।

सूचना

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का अधिवेशन दस दिन (अधिक से अधिक) की लिखित सूचना जो कि प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी करके की गयी हो पर बुलाया जा सकता है। इस नोटिस में अधिवेशन का स्थान, दिन एवं समय निर्दिष्ट किये जायेंगें और उसमें वहाँ पर किये जाने वाले संव्यवहार अथवा कार्यवाही का विवरण भी दिया जायेगा।

रिक्ति या संरचना की कमी का प्रभाव न होना

केन्द्रीय परिषद् की कार्यवाही मात्र इसलिए अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी या परिषद् के गठन में कोई त्रुटि थी।

समूह बनाने व कार्य प्रत्योयोजित करने का अधिकार

अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादन किये जाने वाले कृत्यों के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय परिषद् जैसा आवश्यक समझे स्वयं के सदस्यों में से कार्यवाही दल गठित कर सकती है और इस प्रकार गठित कार्यकारी दल वही कार्य करेगा जैसा कि केन्द्रीय परिषद् द्वारा उसे सौंपा जायेगा। ऐसे कार्यकारी समूहों के निष्कर्ष केन्द्रीय परिषद् के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगें।

सदस्यों का किराया व भत्ता

अधिवेशनों में उपस्थित होने अथवा कार्यकारी समूहों में कार्य करने के लिये अराजकीय सदस्यों को, प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का किराया (रेलगाड़ी का) या यात्रा का वास्तविक किराया जो भी कम हो प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये उपरोक्त प्रकार के परिषद् के सदस्यों को 100/– रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा। सांसद को यात्रा एवं दैनिक भत्ते ऐसी दरों से देय होगें जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय होते हैं।

परिषद् के प्रस्ताव की प्रकृति

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव सिफारिशी प्रकृति के होगें।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के उद्देश्य

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वही उद्देश्य होते हैं जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के हों। इस परिषद् का उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों का संवर्द्धन और संरक्षण करना होगा, जैसे

1. ऐसे माल एवं सेवा के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किये जाने का अधिकार जो जीवन एवं सम्पत्ति के लिये परिसंकटमय हो।

2. माल अथवा सेवा जैसी भी स्थिति में हो, की क्वालिटी, मात्रा, क्षमता शुद्धता, मानक और मूल्यों के विषय में, सूचित किये जाने का अधिकार जिससे कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार से उपभोक्ता को संरक्षित किया जा सके।
3. जहाँ भी सम्भव हो वहाँ प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिनन किस्मों का माल एवं सेवायें सुलभ कराने का आश्वासन दिये जाने का अधिकार।
4. सुने जाने का यह आश्वासन दिये जाने का अधिकार कि उपभोक्ता के हितों पर समुचित पीठों में सम्यक रूप से विचार किया जायेगा।
5. अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार।
6. उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तिथि से जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के रूप में एक परिषद् (राज्य परिषद्) का गठन करेगी। उ0 प्र0 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 2 ए 2 बी, जिसे उ0 प्र0 उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली 1998 द्वारा जोड़ा गया है के द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन व कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं

कार्यालय

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का निदेशालय लखनऊ में स्थित है जिसका पूर्ण एवं स्थायी पता "उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, 1017– इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ" है तथा इसके कार्यालय का पता "राज्य उपभोक्ता संरक्षण उ0प्र0 मोती महल, 2 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ" है।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन

उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में निम्नलिखित सदस्यगण होंगे

1. राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री जो कि इस परिषद् का अध्यक्ष होगा।
2. नियमावली द्वारा राज्य परिषद् के सरकारी व गैर–सरकारी सदस्यों को निर्दिष्ट किया गया है। गैर–सरकारी सदस्यों में उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, कृषकों, व्यापारियों व उद्योगों के 8 प्रतिनिधि तथा उपभोक्ता हितों के लिये कार्यरत् 16 सदस्य शामिल हैं।

कार्यकालय

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के अशासकीय सदस्यों में विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल उनके विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य रहने तक होगा। अन्य अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन

अधिनियम की धारा 7 व उ0 प्र0 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 2–बी के अनुसार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के अधिवेशन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं

अधिवेशन

राज्य उपभोक्ता परिषद् के अधिवेशन का स्थान एवं समय परिषद् के अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जायेगा। परिषद् के अधिवेशन आवश्यकतानुसार होगें किन्तु वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन होने आवश्यक हैं।

सभापतित्व

अधिवेशन की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित परिषद् के सदस्यों द्वारा उस अधिवेशन का अध्यक्ष चयनित किया जायेगा।

सूचना

परिषद् के अधिवेशन दस दिन की सूचना देकर ही बुलायें जा सकते हैं। सूचना में अधिवेशन का स्थान, दिन, समय, सदस्य निर्दिष्ट किये जायेंगे तथा इसमें अधिवेशन में किये जाने वाले संव्यवहार अथवा कार्यवाही का विवरण भी दिया जायेगा।

रिक्त या संरचना की कमी का प्रभाव न होना

राज्य परिषद् की कार्यवाही मात्र इसलिये अविधिमान्य नहीं होगी कि इसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी या परिषद् के गठन में कोई त्रुटि थी।

समूह बनाने व कार्य प्रत्यायोजित करने के अधिकार

अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादन किये जाने वाले कृत्यों के प्रयोजनार्थ, राज्य परिषद् जैसा उचित समझे स्वयं के सदस्यों में से कार्यकारी दल गठित कर सकती है और इस प्रकार गठित कार्यकारी दल वही कार्य करेगा जैसा कि राज्य परिषद् द्वारा उसे सौंपा जायेगा। ऐसे कार्यकारी समूहों के निष्कर्ष राज्य परिषद् के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगें।

सदस्यों का किराया व भत्ता

अधिवेशन में भाग लेने अथवा कार्यकारी समूहों में कार्य करने के लिये अशासकीय सदस्य प्रथम श्रेणी (रेलगाड़ी) का आने व जाने का किराया तथा 100/– रुपये प्रतिदिन पाने के अधिकारी होगें। विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्य उनको मिलने वाले यात्रा एवं प्रतिदिन के भत्ते के हकदार होगें।

परिषद् के प्रस्ताव की प्रकृति

राज्य परिषद् के द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव सिफारिशी प्रकृति के होगें।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के उद्देश्य

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वही उद्देश्य होते हैं जो कि केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के हैं।

जिलाफोरम का गठन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निस्तारण हेतु जिलाफोरम की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ''जिलाफोरम'' की स्थापना अधिसूचना द्वारा प्राप्त करेगी। यदि राज्य सरकार

आवश्यकता समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिलाफोरम की स्थापना कर सकती है।

जिलाफोरम का गठन (धारा 10)

प्रत्येक जिलाफोरम में 3 सदस्य होंगे जिसमें से एक अध्यक्ष व दो अन्य सदस्य होंगें। प्रत्येक जिलाफोरम निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी :

1. एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने के योग्य है, इसका अध्यक्ष होगा।
2. दो अन्य सदस्य जो योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित होंगे और जिनको अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन का प्रर्याप्त ज्ञान और अनुभव होगा या उनमे सम्बन्धित कार्य करने की योग्यता होगी तथा उनमें से एक महिला होगी। जिलाफोरम के सदस्यों के लिये निम्नलिखित योग्यतायें अपेक्षित होंगी

1. उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2. उसे स्नातक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।
3. उसे योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित तो होना ही चाहिए साथ ही साथ उसे अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं के निष्पादन का कम से कम दस वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए।

यदि किसी व्यक्ति में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं तो वह व्यक्ति जिलाफोरम का सदस्य बनने के लिये अयोग्य सिद्ध होगा

1. वह व्यक्ति किसी अपराध में दोषी सि हो चुका हो।
2. वह न्यायालय द्वारा दिवालिया निर्णीत हो गया हो।
3. वह न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित हो चुका हो।
4. वह सरकारी सेवा अथवा सरकार द्वारा नियमित निकाय की सेवा से हटाया अथवा बर्खास्त किया गया हो।
5. राज्य सरकार की राय में, वह ऐसा आर्थिक व अन्य हित रखता हो जो परिषद के सदस्य के रूप में उसके कार्यों के निष्पक्ष निष्पादन को प्रभावित कर सकता है।
6. वह ऐसी अन्य अनर्हता रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जायेगी

1. राज्य आयोग का अध्यक्ष–अध्यक्ष
2. राज्य के विधि विभाग का सचिव–सदस्य
3. राज्य में उपभोक्ता कार्य विभाग का प्रभारी सचिव–सदस्यअनुपस्थितियों या अन्य कारण से अगर अध्यक्ष कार्य करने में अक्षम हो तो राज्य सरकार मामले को अध्यक्षता हेतु एक उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को इसके लिये नामित करने के लिये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजेगी।

जिलाफोरम के उद्देश्य

जिलाफोरम के वही उद्देश्य होते हैं जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के होते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें

1. बंसल, बी0 एल0 एवं रहेजा, राजीव; रेडी रेक्नर ऑन कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट, 1986; कैपिटल लॉ हाउस; दिल्ली।
2. कौशल, अनूप कुमार; कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन लॉज; यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग हाउस; दिल्ली; 2006 ।
3. कपूर, एस0 के0; लॉ ऑफ टोर्ट्स एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट; सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी; इलाहाबाद; 2003।
4. नदीम उद्दीन; सरल उपभोक्ता कानून; युग निर्माता पब्लिकेशन; मुरादाबाद रोड; काशीपुर।
5. पाण्डेय, जे0 एन0; लॉ ऑफ टोर्ट्स एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट; सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन; इलाहाबाद; 2005 ।
6. सिंह, अवतार; उपभोक्ता संरक्षण; ईस्टर्न बुक कम्पनी; लखनऊ; 2003 ।
7. श्रीवास्तव, एस0 के0; कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट; सेन्ट्रल लॉ एजेण्सी; इलाहाबाद।
8. सचदेवा, अनिल; द कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट; राजस्थान लॉ हाउस; जयपुर; 2006 ।
9. सक्सेना, ए0 के0; कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन ऑर्डिनेन्स 1993; लॉ बुक सैन्टर; बरेली।
10. त्यागी, राजकुमार सिंह; कन्ज्यूमर लॉ डाइजेस्ट, 1993–2001; चौधरी पब्लिकेशन्स; मेरठ।

पत्रिकाएं

1. प्रतियोगिता दर्पण (मासिक), आगरा।
2. उपभोक्ता संरक्षण (मासिक), लखनऊ।
3. उपभोक्ता की आवाज (मासिक), नई दिल्ली।
4. उपभोक्ता जागरण (मासिक), लखनऊ।

समाचार–पत्र

1. अमर उजाला (दैनिक), मेरठ।
2. दैनिक जागरण (दैनिक), मेरठ।
3. उपभोक्ता की आवाज (साप्ताहिक), मेरठ।